

111
 9 CMS
 2020/00054
 08/02/21

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री रागे रवां

हलका ~~भूक कवाठिह~~

पुत्र श्री भजीम रवां जाति कोखाल

निवासी ~~भूक कवाठिह~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 51/वर्ष 2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुकम और तारीख तामिल की |
|------------|--|------------------------|
| 23-12-2020 | पटवारी हलका भूक कवाठिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2021 में मौजा भूक कवाठिह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि 4 मु. 5 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। | |
| 11-01-2021 | तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | रागे रवां |
| 18/1/2021 | पत्रावली पेश हुई और सायल उपस्थित। पीगली अधिकारी रजिस्टर काफ़े हेतु लोथपुर पधार है। पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश है। | रागे रवां |

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर साफल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब देना साफल चाहा जो दिनांक 02-02-2021 को पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीगलीग मजिदारी भाग सिवना ड्युरी पर पद्यारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित। गैर साफल को जवाब देना मजिदारी मजदूर दिनांक 22-2-2021 को पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-02-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित। गैर साफल को जवाब देना बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई बिधि सम्मत साफल प्रस्तुत नहीं किया। गैर साफल को अलिखित मानते हुए पत्रावली जैसल कुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली जैसल कुमार कोम्प 25-2-2021 दाखिल दफ्तार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर